

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक: 22 जून, 2020

विषय:- नोवल कोरोना वायरस के संबंध में अति आवश्यक मेडिकल कन्ज्यूमेबल तथा मेडिकल इक्विपमेंट कय करने के लिये धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 167/एक-10-2020-33(221)/2011टीसी-2, दिनांक 01-04-2020 का कृपया संदर्भ गहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोरोना वायरस संबंधी अति आवश्यक मेडिकल कन्ज्यूमेबल तथा मेडिकल इक्विपमेंट कय किये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" से **रु० 44,50,00,000/- (रुपये चौवालिस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से जनपद के जिलाधिकारीगणों के निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।**

2- उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि के संबंध में जनपदों स प्राप्त अद्यतन व्यय सम्बन्धी सूचना/विवरण तथा सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या-665/71-3-2020, दिनांक 19.06.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तथा जनपदों को धनराशि की आवश्यकता का आंकलन करने पर यह पाया गया कि जनपदों को आवंटित की गयी उक्त धनराशि के पुनरीक्षित आवंटन किये जाने की आवश्यकता है।

3- अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन के पत्र संख्या 167/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, दिनांक 01-04-2020 द्वारा जनपदों को आवंटित की गयी उक्त धनराशि को निम्नानुसार पुनरीक्षित आवंटन किया जाता है:-

(धनराशि लाख रुपये में)				
क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	पुनरीक्षित आवंटन
1	2	3	4	5
1	प्रयागराज	100.00	00.00	5.00

2	झांसी	100.00	00.00	5.00
3	वाराणसी	100.00	00.00	5.00
4	मुरादाबाद	100.00	11.61	20.00
5	सहारनपुर	100.00	26.69	30.00
6	मेरठ	100.00	35.93	200.00
7	गोरखपुर	100.00	38.25	200.00
8	बरेली	100.00	38.39	200.00
9	आगरा	100.00	41.13	200.00
10	गौतमबुद्ध नगर	100.00	50.00	55.00
11	पीलीभीत	50.00	00.00	5.00
12	उन्नाव	50.00	00.00	5.00
13	अमेठी	50.00	00.00	5.00
14	कुशीनगर	50.00	00.00	5.00
15	बलिया	50.00	00.00	5.00
16	मैनपुरी	50.00	00.00	5.00
17	बिजनौर	50.00	00.00	5.00
18	अमरोहा	50.00	00.00	5.00
19	मथुरा	50.00	00.00	100.00
20	हाथरस	50.00	00.00	5.00
21	महराजगंज	50.00	00.00	5.00
22	बागपत	50.00	18.00	20.00
23	इटवा	50.00	00.00	5.00
24	हरदोई	50.00	00.00	5.00
25	शामली	50.00	00.00	5.00
26	हमीरपुर	50.00	00.00	5.00
27	चन्दौली	50.00	00.00	5.00

28	कन्नौज	50.00	00.00	5.00
29	चित्रकूट	50.00	00.00	5.00
30	प्रतापगढ़	50.00	00.00	5.00
31	बहराइच	50.00	00.00	5.00
32	औरैया	50.00	00.00	5.00
33	जौनपुर	50.00	00.00	5.00
34	बलरामपुर	50.00	00.00	5.00
35	अम्बेडकरनगर	50.00	00.00	5.00
36	कौशाम्बी	50.00	34.00	35.00
37	शाहजहांपुर	50.00	00.00	5.00
38	मऊ	50.00	00.00	5.00
39	सुल्तानपुर	50.00	00.00	5.00
40	मीरजापुर	50.00	00.00	5.00
41	गाजीपुर	50.00	00.00	5.00
42	सम्भल	50.00	0.97	5.00
43	बदायूं	50.00	1.98	5.00
44	फर्रुखाबाद	50.00	2.19	5.00
45	श्रावस्ती	50.00	4.37	10.00
46	रायबरेली	50.00	5.58	10.00
47	बांदा	50.00	6.03	10.00
48	गोण्डा	50.00	6.10	10.00
49	एटा	50.00	6.98	10.00
50	महोबा	50.00	9.73	15.00
51	खीरी	50.00	9.89	15.00
52	अलीगढ़	100.00	62.32	70.00
53	फिरोजाबाद	50.00	18.18	20.00

54	गाजियाबाद	100.00	70.00	75.00
55	कासगंज	50.00	20.74	25.00
56	अयोध्या	50.00	21.48	25.00
57	सीतापुर	50.00	23.52	30.00
58	जालौन	50.00	24.16	30.00
59	हापुड़	50.00	25.00	30.00
60	सोनभद्र	50.00	25.15	30.00
61	देवरिया	50.00	25.30	30.00
62	बाराबंकी	50.00	25.97	30.00
63	संतकबीर नगर	50.00	28.48	35.00
64	बुलन्दशहर	50.00	28.83	35.00
65	रामपुर	50.00	28.91	35.00
66	बस्ती	50.00	32.94	35.00
67	फतेहपुर	50.00	37.37	40.00
68	सिद्धार्थनगर	50.00	43.47	45.00
69	कानपुर देहात	50.00	46.50	50.00
70	ललितपुर	50.00	47.48	50.00
71	आजमगढ़	50.00	49.39	50.00
72	मुजफ्फर नगर	50.00	49.72	50.00
73	कानपुर नगर	100.00	100.00	100.00
74	लखनऊ	100.00	100.00	200.00
75	भदोही	50.00	50.00	50.00
योग		4450.00	1332.73	2480.00
(रूपये चौबीस करोड़ अस्सी लाख मात्र)				

4- उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित आवंटन के फलस्वरूप प्रस्तर-3 के कालम-5 के अनुसार कुल रु0 2480.00 लाख की धनराशि जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी जाती है।

5- यदि भविष्य में जनपदों को उक्त कार्यो हेतु धनराशि के आवश्यकता पड़ती है तो उनके द्वारा औचित्यपूर्ण तथ्यात्मक प्रस्ताव/मॉग शासन को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके परीक्षणोपरान्त यथोचित अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

6- उक्त पुनरीक्षित धनावंटन के सम्बन्ध में पत्र संख्या-167/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, दिनांक 01.04.2020 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीया,

M 22/6/2020
(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 305 (1) / एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 6- समस्त कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 7- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3
संख्या - 665 / 71-3-2020
लखनऊ, दिनांक 19 जून, 2020

सचिव, राजस्व
लखनऊ, 20.6.2020

प्रमाण नोबल कोरोना वायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी के दृष्टिगत राज्य सरकार मेडिकल कन्ज्यूमेबल तथा मेडिकल इक्विपमेंट कय करने हेतु राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-167/एक-10-20-33(221)/2011टीसी-2, दिनांक 01.04.2020 जिसके द्वारा धनराशि अग्रिम रूप से जिलाधिकारीगण के निवर्तन पर रखी गयी है, को कार्यान्वयन करें।

राज्य परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि राजस्व अनुभाग-10 के उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 01.04.2020 द्वारा स्वीकृत कुल रू० 44.50 करोड़ के सापेक्ष जनपद लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, बरेली एवं आगरा हेतु रुपये 01.00 करोड़ (प्रत्येक हेतु) तथा जनपद मथुरा हेतु रू० 50.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। जिलाधिकारीगण को अवगत कराया गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। उक्त जनपदों में स्थापित लैबों में निकटवर्ती जनपदों के मरीजों की भी परीक्षा हो रही है। ऐसी स्थिति में राजस्व विभाग द्वारा जिलाधिकारीगण के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि सीमित होने के दृष्टिगत राज्य आपदा कोष से अतिरिक्त धनराशि का भोग की गयी है। जिससे कि उक्त जनपद स्थित लैबों में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो सके। हेल्थम कार्य निर्वाध रूप से संचालित रहे।

वर्णित स्थिति के दृष्टिगत अनुरोध है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की परीक्षा हेतु लैबों के निर्वाध संचालन हेतु जनपद- लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, बरेली एवं मथुरा हेतु रू० 01.00 करोड़ (प्रत्येक हेतु) तथा जनपद-मथुरा हेतु रू० 50.00 लाख की धनराशि की व्यवस्था राज्य आपदा कोष से कराने का कष्ट करें।

आचार्य
20.6.2020

50-10

62.

(अमित गुप्ता)
सचिव।